[2021] 2 उम. नि. प. 403

सतपाल

बनाम

हरियाणा राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 261]

3 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – मृतका के पति द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाया जाना – दाह क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाना – मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाना – जहां मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त-पति द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाए जाने का कथन किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया हो कि मृतका द्वारा कथन करने के समय उसका कोई नातेदार उसके पास नहीं था और मृतका को सिखाया-पढ़ाया नहीं गया था तथा अन्य साक्ष्य से भी अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता करने की बात सिद्ध होती हो, वहां युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध होने पर उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका पूजा रानी को दाह क्षतियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था । मृतका के भर्ती होने के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और पूजा रानी की मृत्यु हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई थी । सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस उप निरीक्षक अन्य पुलिस पदधारियों के साथ अस्पताल गए और यह

पाया कि मृतका को 90 प्रतिशत क्षतियां पहुंची थीं और उस प्रक्रम पर उसे कथन करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था । पुलिस के अनुरोध पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी द्वारा मृतका पूजा रानी का कथन अभिलिखित किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी द्वारा अभिलिखित किए गए कथन में मृतका ने यह कहा कि उसके पति-अपीलार्थी/अभियुक्त ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी । अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त तथा तीन अन्य व्यक्तियों अर्थात् मृतका की सास, जेठ और जेठानी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । तथापि, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को उन्मोचित कर दिया गया और इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करके तारीख 3 नवंबर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपीलार्थी द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, यमुनानगर, जगाधरी द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित किए गए दंडादेश से व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष दांडिक अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित किए गए दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी गई । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि पहली बार यह पता चलने पर कि मृतका पूजा रानी को दाह क्षतियों के साथ

अस्पताल में भर्ती किया गया है, सहायक उप निरीक्षक अन्य पुलिस पदधारियों के साथ अस्पताल गए थे । जब यह पाया गया कि मृतका को 90 प्रतिशत क्षतियां पहुंची हैं और वह कथन करने के लिए उपयुक्त हालत में है तो उसने संबंधित मजिस्ट्रेट को एक अनुरोध भेजा, जिसके उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी ने मृतका पूजा रानी का कथन अभिलिखित किया, जिसे प्रदर्श-पीएल के रूप में प्रदर्शित किया गया है । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी थी । यद्यपि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों को भी आरोप पत्रित किया गया था, किंतु उन्हें बाद में तारीख 12 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा उन्मोचित कर दिया गया था । मृतका के माता-पिता को दी गई सूचना के आधार पर वे अस्पताल आए थे । मृतका पूजा रानी को तारीख 20 मार्च, 2008 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंततोगत्वा तारीख 27 मार्च, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई थी । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तात्विक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि मृतका के परिवार के सदस्य अस्पताल में थे, किंतु जब मजिस्ट्रेट, जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की गई थी, द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था उस समय उन्हें बाहर भेज दिया गया था । यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर विचार किया जाए, तो यह स्वाभाविक दिखाई पड़ता है और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । मृत्युकालिक कथन के अतिरिक्त अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो क्रमश: मृतका की माता और मामा हैं, के कथनों से अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि होती है । उनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मृतका को यातना दी गई थी । मजिस्ट्रेट ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के समय पर मृतका पूजा रानी के नातेदार वहां नहीं थे । यदि अभि. सा. 16 द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अन्य साक्षियों, जिनकी अभियोजन पक्ष की ओर से

परीक्षा की गई थी, के अभिसाक्ष्यों के साथ-साथ विचार किया जाए, तो इससे अपीलार्थी की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध हो जाती है, इसलिए यह न्यायालय अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई किसी दलील में कोई गुणागुण नहीं पाता है । इसके अतिरिक्त, केवल इस कारण कि मृतका के माता-पिता और अन्य नातेदार उस समय अस्पताल में मौजूद थे जब मृतका का कथन अभिलिखित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त कथन एक सिखाया-पढ़ाया गया कथन था । यह पूर्णतया स्वाभाविक है कि जब ऐसी घटना घटती है, तो माता-पिता और अन्य नातेदार तुरंत अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं । केवल इस कारण कि वे अस्पताल में थे, यह बात मजिस्ट्रेट, जिसकी अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की गई थी, द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है । (पैरा 14 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 261.

2010 की दांडिक अपील सं. 147 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 5 सितंबर, 2016 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती ननिता शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री दीपक ठुकराल, उप महा अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील अभियुक्त द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 5 सितंबर, 2016 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, यमुनानगर, जगाधरी की फाइल पर 2008 के सेशन मामला सं. 20 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की गई थी ।

3. जे. पी. अस्पताल, यमुनानगर से दाह क्षतियों के कारण पूजा रानी, मृतका के भर्ती होने के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर तारीख 20 मार्च, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 112 में प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और पूजा रानी की मृत्यु हो जाने पर अर्थात् तारीख 27 मार्च, 2008 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई थी । सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस थाना शहर, यमुनानगर के सहायक उप निरीक्षक श्री ईश्वर सिंह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ जे. पी. अस्पताल गए और यह पाया कि मृतका को 90 प्रतिशत क्षतियां पहुंची थीं और उस प्रक्रम पर उसे कथन करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था । पुलिस के अनुरोध पर सुश्री कुमुद गुगनानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी ने मृतका पूजा रानी का कथन अभिलिखित किया ।

4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी द्वारा अभिलिखित किए गए कथन में मृतका ने यह कहा था कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी । अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त तथा तीन अन्य व्यक्तियों अर्थात् कमलेश, मित्रसेन और अंजलि, जो क्रमशः मृतका की सास, जेठ और जेठानी हैं, के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । तथापि, तारीख 12 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को उन्मोचित कर दिया गया और इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कांस्टेबल नरेंद्र कुमार की अभि. सा. 1 के रूप में, कांस्टेबल राम कुमार की अभि. सा. 2 के रूप में, जयपाल, सहायक उप निरीक्षक की अभि. सा. 3 के रूप में, ईएचसी प्रेम सिंह की अभि. सा. 4 के रूप में, वर्षा रानी की अभि. सा. 5 के रूप में, कश्मीरी लाल की

अभि. सा. 6 के रूप में, प्यारा सिंह, निरीक्षक की अभि. सा. 7 के रूप में, जय किशन, सहायक उप निरीक्षक की अभि. सा. 8 के रूप में, डा. मनीषा सिंह की अभि. सा. 9 के रूप में, ईएचसी सतविंदर सिंह की अभि. सा. 10 के रूप में, राजकुमार, उप निरीक्षक की अभि. सा. 11 के रूप में, लाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक की अभि. सा. 12 के रूप में, डा. अमित गोयल की अभि. सा. 13 के रूप में, बलराज सिंह, सहायक उप निरीक्षक की अभि. सा. 14 के रूप में, ईश्वर सिंह, सहायक उप निरीक्षक की अभि. सा. 15 के रूप में और कुमुद गुगनानी की अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की ।

6. जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया था तो अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि मृतका पूजा रानी को यह भ्रम था कि उसके अंजलि (जेठानी) के साथ अयुक्त संबंध हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी ।

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करके तारीख 3 नवंबर, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

8. अपीलार्थी ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, यमुनानगर, जगाधरी द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित किए गए दंडादेश से व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष 2010 की दांडिक अपील सं. डी-147-डीबी फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 5 सितंबर, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित किए गए दंडादेश की

पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी ।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल श्रीमती ननीता शर्मा और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता, श्री दीपक ठुकराल को सुना ।

10. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर का साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भी विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से उठाए गए विभिन्न आधारों पर विचार किए बिना उसकी पुष्टि की गई थी । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि दोषसिद्धि मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्यकालिक कथन पर आधारित है, जिसकी अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की गई थी । यह दलील दी गई कि मृत्युकालिक कथन एक सिखाया-पढ़ाया गया कथन था और वह मृतका के परिवार के सदस्यों की प्रेरणा पर किया गया था, जो सुसंगत समय पर अस्पताल में मृतका के साथ थे । यह दलील दी गई कि वास्तव में जब मृतका ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था, तब अपीलार्थी ने आग बुझाने के लिए अपनी भरसक कोशिश की थी । अंत में, उन्होंने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषसिद्धि, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है ।

11. दूसरी ओर, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया था । यह दलील दी गई कि सूचना प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् श्री ईश्वर सिंह, सहायक उप निरीक्षक अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ अस्पताल गए थे और यह पाया था कि मृतका को 90 प्रतिशत क्षतियां पहुंची थीं किंतु वह कथन करने के

लिए उपयुक्त हालत में थी । यह दलील दी गई कि अनुरोध करने पर सुश्री कुमुद गुगनानी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी ने 'प्रदर्श-टीएल' के अधीन मृतका पूजा रानी का कथन अभिलिखित किया था, जिसमें उसने यह कहा था कि घटना से तीन वर्ष पूर्व अपीलार्थी से उसका विवाह हुआ था और अपीलार्थी अपने भाई की पत्नी के प्रभाव में था और उसके उकसावे के अनुरूप कार्य करता था । मृतका ने अभिलिखित किए गए कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का था और आग लगा दी थी । यह दलील दी गई कि केवल इस कारण कि मृतका को पहुंची दाह क्षतियों का पता चलने पर उसके परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंच गए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मृतका द्वारा किया गया कथन एक सिखाया-पढ़ाया गया कथन था । यह दलील दी गई कि मृतका का कथन अभिलिखित करने के समय पर परिवार के सभी सदस्यों को बाहर भेज दिया गया था और मृतका द्वारा जो कथन किया गया था, वही कथन अभिलिखित किया गया था । यह दलील दी गई कि यदि संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जाए तो इससे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन का पक्षकथन स्पष्ट रूप से साबित होता है । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है और दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए एक-जैसे निष्कर्षों को देखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है ।

12. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित निर्णय, विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अन्य तात्विक साक्ष्य का परिशीलन किया ।

13. इस मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि पहली बार यह पता चलने पर कि मृतका पूजा रानी को दाह क्षतियों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है, सहायक उप निरीक्षक अन्य पुलिस पदधारियों के साथ अस्पताल गए थे । जब यह पाया गया कि मृतका को 90 प्रतिशत

क्षतियां पहुंची हैं और वह कथन करने के लिए उपयुक्त हालत में है तो उसने संबंधित मजिस्ट्रेट को एक अनुरोध भेजा, जिसके उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर, जगाधरी ने मृतका पूजा रानी का कथन अभिलिखित किया, जिसे प्रदर्श-पीएल के रूप में प्रदर्शित किया गया है । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी थी । यद्यपि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों को भी आरोप पत्रित किया गया था, किंतु उन्हें बाद में तारीख 12 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा उन्मोचित कर दिया गया था । मृतका के माता-पिता को दी गई सूचना के आधार पर वे अस्पताल आए थे । मृतका पूजा रानी को तारीख 20 मार्च, 2008 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंततोगत्वा तारीख 27 मार्च, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई थी । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तात्विक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि मृतका के परिवार के सदस्य अस्पताल में थे, किंतु जब मजिस्ट्रेट, जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की गई थी, द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था उस समय उन्हें बाहर भेज दिया गया था ।

14. यदि हम मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर विचार करें, तो यह स्वाभाविक दिखाई पड़ता है और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । मृत्युकालिक कथन के अतिरिक्त अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो क्रमश: मृतका की माता और मामा हैं, के कथनों से अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि होती है । उनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मृतका को यातना दी गई थी । मजिस्ट्रेट ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के समय पर मृतका पूजा रानी के नातेदार वहां नहीं थे ।

15. इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि यद्यपि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन

अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह कहा था कि घटना के समय पर आस-पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति अपीलार्थी के मकान पर आ गए थे, तो भी उसकी ओर से किसी की परीक्षा नहीं कराई गई थी ।

16. यदि अभि. सा. 16 द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अन्य साक्षियों, जिनकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी, के अभिसाक्ष्यों के साथ-साथ विचार किया जाए, तो इससे अपीलार्थी की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध हो जाती है, इसलिए हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई किसी दलील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं । इसके अतिरिक्त, केवल इस कारण कि मृतका के माता-पिता और अन्य नातेदार उस समय अस्पताल में मौजूद थे जब मृतका का कथन अभिलिखित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त कथन एक सिखाया-पढ़ाया गया कथन था । यह पूर्णतया स्वाभाविक है कि जब ऐसी घटना घटती है, तो माता-पिता और अन्य नातेदार तुरंत अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं । केवल इस कारण कि वे अस्पताल में थे, यह बात मजिस्ट्रेट, जिसकी अभि. सा. 16 के रूप में परीक्षा की गई थी, द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है ।

17. ऊपर उल्लिखित कारणों और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों से हमारा यह मत है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई गलती नहीं की गई है जिससे कि उसमें इस अपील में हस्तक्षेप किया जा सके । यह दांडिक अपील गुणागुण रहित है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.